

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

मुकदमा किस्म मुकदमा रज्जु दिनांक निर्णय दिनांक
14/2020 धारा 91 एल.आर.एक्ट 03.03.2020 13.03.2020

उनवान सरकार बनाम मिठूनाथ पुत्र गुलाबनाथ जाति नाथ निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

:- निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का बुहाना ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम बुहाना की राजकीय भूमि गै0मु0 बणी ख0न0 3176/2321 कुल रकबा 108.2434 है0 किस्म गै0मु0 बणी में से 0.02 है0 पर अतिक्रमी मिठूनाथ पुत्र गुलाबनाथ जाति नाथ निवासी बुहाना ने अवैध रूप से टीनशैड व बाड़ बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा उपस्थित होकर नोटिस जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।


पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में टीनशैड बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से टीनशैड बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.20/- का अतिक्रमण शुदा लगान 0.08 की 50 गुणा जुर्माना राशि 4.00/- बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फ़ैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

रा.ले. सं. 4 वर्ष 2019-20 के पृ.सं. 47
पर 12 की मांग कायम की गई।


(वंशीधर योगी)
तहसीलदार बुहाना


तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बुहाना